

# डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम - हिण्डौन सिटी जिला करौली  
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

## उनवान

1. चेताराम	पिसरान रतनलाल	जाति मीना निवासी खेडीशीश
2. रामप्रसाद		
3. बल्ला		तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. रामबच्चा उर्फ गोपीसहाय पुत्र रतनलाल		
5. हरीचरण पुत्र कारे		वादीगण

## बनाम

- केदार पुत्र बृजी जाति जाट निवासी बरगमा — मृतक
- 1/1. देवेन्द्र पुत्र केदार जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- 1/2. मनेन्द्र पुत्र केदार जिला करौली राजस्थान
- मु० रुमाली पुत्री बृजी जाति जाट निवासी बरगमा - मृतका
- 2/1. हरि माता रुमाली जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- 2/2. बृन्दावन जिला करौली
- 2/3. शिम्भू
- मु० गायत्री बेबा खुशीराम जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- सुशील पुत्र खुशीराम जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- कानाराम पुत्र खुशीराम जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- रामस्वरूप पुत्र प्रभू जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- देवीसिंह पुत्र भंवर जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- कल्लूसिंह पुत्र भंवर जाति जाट निवासी बरगमा - मृतक
- 8/1. धर्मवीर पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- 8/2. देवेन्द्र पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- 8/3. जीतू पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- कमोदसिंह उर्फ करणसिंह पुत्र भंवर जाति जाट निवासी बरगमा तह.हिण्डौन
- लक्ष्मण पुत्र दलजीत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- थानसिंह पुत्र दलजीत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- हरकेश पुत्र दलजीत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- नटवर पुत्र दलजीत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- शिवराम पुत्र फूलसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- विनोद पुत्र थानी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करौली)

16. धर्मेन्द्र पुत्र थानी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
17. मु० प्रेमदेवी बेबा थानी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
18. मु० रामनिरी पुत्री थानी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
19. अनूप पुत्र समयसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
20. कुमारसिंह पुत्र समयसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
21. मटकसिंह पुत्र समयसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
22. प्रेमसिंह पुत्र किशन जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
23. खुशीराम पुत्र कन्हैया जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
24. सियाराम पुत्र बृजमोहन जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
25. राजाराम पुत्र बृजमोहन जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
26. प्रेमसिंह पुत्र घीस्या जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
27. अमरसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
28. मदनमोहन पुत्र भरोसी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
29. सोनू पुत्र भरोसी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
30. रतीराम पुत्र रघुपत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
31. गोविन्दराम पुत्र रघुपत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
32. फतेहसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
33. बीरेन्द्र कुमार पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
34. मु० मीरा पुत्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
35. मु० भूरी पुत्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
36. मु० विरमा बेबा भगवानसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
37. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी लैण्ड होल्डर ————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

मुकदमा नं० 42/2018

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरू ..... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है०, 2190 रकबा 2.45 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है० वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में वादी चेताराम पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश को हिस्सा 1/8 भाग, हरिचरण पुत्र कारे जाति मीना निवासी खेडीशीश को हिस्सा 23/48 भाग, रामबच्चा उर्फ गोपीसहाय पुत्र

उपरि उक्त अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( कौली )

रतनलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश को हि० 5/48 भाग, रामप्रसाद पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश को हि० 1/8 भाग, बल्ला पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश को हिस्सा 1/8 भाग का तथा नैवोसिंह,अमरसिंह पिसरान रामखिलाडी,ओमवती पुत्री रामखिलाडी, कलावती पत्नि स्व० रामखिलाडी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन को हिस्सा 1/24 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है०, 2190 रकबा 2.45 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है० वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में वादीगण के कुल हिस्सा 23/24 भाग में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। वादीगण को उक्त भूमि को शान्ति पूर्वक काश्त करने दें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादीगण के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.09.2021 को यह डिक्री जारी की गई।

( अनूपसिंह )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 42/2018

पीठासीन अधिकारी :- अनूपसिंह

तारीख रजू:- 07.06.2018

R.A.S.

1. चेताराम	पिसरान रतनलाल	जाति मीना निवासी खेडीशीश तहसील हिण्डौन जिला करौली वादीगण
2. रामप्रसाद		
3. बल्ला		
4. रामबच्चा उर्फ गोपीसहाय पुत्र रतनलाल		
5. हरीचरण पुत्र कारे		

## बनाम

1. केदार पुत्र बृजी जाति जाट निवासी बरगमा — मृतक
- 1/1. देवेन्द्र पुत्र केदार | जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- 1/2. मनेन्द्र पुत्र केदार | जिला करौली राजस्थान
2. मु0 रुमाली पुत्री बृजी जाति जाट निवासी बरगमा - मृतका
- 2/1. हरि | माता रुमाली जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- 2/2. बृन्दावन | जिला करौली
- 2/3. शिम्भू
3. मु0 गायत्री बेबा खुशीराम जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
4. सुशील पुत्र खुशीराम जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
5. कानाराम पुत्र खुशीराम जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
6. रामस्वरूप पुत्र प्रभू जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
7. देवीसिंह पुत्र भंवर जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
8. कल्लूसिंह पुत्र भंवर जाति जाट निवासी बरगमा - मृतक
- 8/1. धर्मवीर पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- 8/2. देवेन्द्र पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
- 8/3. जीतू पुत्र कल्लू जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
9. कमोदसिंह उर्फ करणसिंह पुत्र भंवर जाति जाट निवासी बरगमा तह.हिण्डौन
10. लक्ष्मण पुत्र दलजीत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
11. थानसिंह पुत्र दलजीत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
12. हरकेश पुत्र दलजीत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
13. नटवर पुत्र दलजीत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
14. शिवराम पुत्र फूलसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
15. विनोद पुत्र थानी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
16. धर्मेन्द्र पुत्र थानी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन

डॉ०

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

17. मु० प्रेमदेवी बेबा थानी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
18. मु० रामनिरी पुत्री थानी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
19. अनूप पुत्र समयसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
20. कुमारसिंह पुत्र समयसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
21. मटकसिंह पुत्र समयसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
22. प्रेमसिंह पुत्र किशन जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
23. खुशीराम पुत्र कन्हैया जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
24. सियाराम पुत्र बृजमोहन जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
25. राजाराम पुत्र बृजमोहन जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
26. प्रेमसिंह पुत्र घीस्या जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
27. अमरसिंह पुत्र रेवती जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
28. मदनमोहन पुत्र भरोसी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
29. सोनू पुत्र भरोसी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
30. रतीराम पुत्र रघुपत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
31. गोविन्दराम पुत्र रघुपत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
32. फतेहसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
33. बीरेन्द्र कुमार पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
34. मु० मीरा पुत्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
35. मु० भूरी पुत्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
36. मु० विरमा बेबा भगवानसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन
37. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी लैण्ड होल्डर ————— प्रतिवादीगण

### दावा बाबत इस्तकरार हक

### एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक :- 21.09.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं०1 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा म्बर 2187 रकबा 0.09 है०, 2190 रकबा 2.45 है० वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में स्थित है।

वाद पत्र के मद नं०2 में दर्ज किया है कि वादी चेताराम द्वारा खेमू केदार व खुशीराम से आराजीयात विवादग्रस्त में उनका हिस्सा 1/4 जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड दिनांक 19.06.1989 को खरीद कर लिया। खातेदार खेमू

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (कौली)

लाआलौद फौत हो जाने पर मृतक के वारिसान उनके भाई केदार व मृतक खुशीराम के वारिसान है और उनके तर्क पर काबिज एवं दखील हैं।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि खातेदार प्रभू द्वारा आराजी विवादग्रस्त साबिक खसरा नम्बर 1684/1 का अपना हिस्सा 1/12 का बेचान वादी चेताराम, हरीचरण के हक में दिनांक 01.06.1989 को सब रजिस्ट्रार हिण्डौन के कार्यालय में तकमील तस्दीकम करवा दिया है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि खातेदार देवीसिंह, कल्याणसिंह, कमोदसिंह, दलजीतसिंह फूलसिंह से वादी हरीचरण व बल्ला द्वारा उनकी आराजीयात मौजूदा खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 में से उनका सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड दिनांक 21.06.1989 को खरीद कर लिया है। खातेदार दलजीत फौत हो गये हैं उनके तर्क पर उनके वारिसान काबिज एवं दखील हैं। खातेदार रामसहाय कलुआ का हिस्सा भी उक्त खातेदारों के हिस्से में खातेदार सामिल हैं। ये लोग विक्रय पत्र करवाने से पूर्व मर गये इा करण उक्त वारिसान द्वारा उन दोनों के हिस्से का विक्रय पत्र भी करवा दिया गया।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि खातेदार यानि बहादुर अनूपसिंह कुमरसिंह मटकसिंह पि0 परभाती समयसिंह था, आराजी मौजूदा खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 में उका सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 वादी हरीचरण पुत्र कारे द्वारा दिनांक 19.06.1989 को जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। उक्त खातेदारान विक्रेतागण में से विक्रेता यानी फौत होने पर उसके तर्क पर काबिज है व मृतक के वारिसान रिकार्ड पर आ गये हैं, जो प्रतिवादी सं016 लगायत 22 हैं।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि खातेदार कन्हैया व बृजमोहन से आराजीयात खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 में उनके सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी हरीचरण द्वारा दिनांक 27.06.1989 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। उक्त दोनों खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है। जिनके तर्क पर उनके वारिसान प्रतिवादी सं0 24 लगायत 26 काबिज एवं दखील है व जिम्मेदार मुकदमा है।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (काँली)

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि खातेदार भरोसी रतीराम व गोविन्दराम से वादी रामप्रसाद द्वारा उनका आराजी साबिक खसरा नम्बर 1684/1 रकबा 9 बीघा में सम्पूर्ण हिस्सा 1/24 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.10.1989 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। खातेदार भरोसी फौत हो गये हैं। उनके तर्कों पर मृतक के वारिसान प्रतिवादी सं0 29 लगायत 32 काबिज हैं।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि खातेदार घीस्या व रेवती का आराजीयात मौजूदा खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 में उनका सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1989 को वादी रामप्रसाद द्वारा खरीद कर कब्जा उसी दिन प्राप्त कर लिया है। विक्रेता खातेदार घीस्या फौत हो चुका है उनके तर्कों पर मृतक के पुत्र प्रतिवादी सं07 काबिज हैं।

वाद पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि खातेदार किशन का आराजी साबिक खसरा नम्बर 1684/1 रकबा 9 बीघा में सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 वादी हरीचरण व रामबच्चा द्वारा दिनांक 22.08.1989 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। खातेदार किश फौत हो चुके हैं उनके तर्कों पर मृतक के वारिस प्रतिवादी सं0 23 काबिज एवं दखील हैं।

वाद पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं01 वाद पत्र के हिस्सा वर्णित मद नं0 2 लगायत 9 वाद पत्र आराजीयात विवादग्रस्त के 138/144 हिस्से को जरिये 8 विक्रय पत्रों के वादीगण द्वारा खरीद कर लिया है तथा प्रतिवादी सं033 फतेहसिंह का 1/32 तथा प्रतिवादी सं0 34 लगायत 37 बहिस्सा 1/96 शेष रहा है, जो करीब 1/24 हिस्सा होता है यानि वादीगण के तिहस्से में 2.45 है0 व प्रतिवादी सं0 33 व उक्त के हिस्से में 9 एयर जमीन रहती है। इसलिए उनका 5 आदमीयों के अलावा जमाबन्दी से प्रतिवादीगण का नाम हजफ फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि मुताबिक विक्रय पत्र वर्णित मद नं02 लगायत 9 वाद पत्र में वादी नं01 चेताराम बहिस्सा 1/8, वादी सं02 रामप्रसाद बहिस्सा 5/48 , वादी सं03 बल्ला बहिस्सा 1/8, वादी सं04

उपस्थान्त अधिकारी  
हिण्डोन सिटी ( कौली )

रामबच्चा उर्फ गोपीराम बहिस्सा 1/16, वादी सं05 हरीचरण बहिस्सा 78/60 के इस प्रकार कुल 2.45 है0 हिस्से से अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के हकदार हैं। क्योंकि आराजीयात विवादग्रस्त को उन्होंने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद लिया है मगर जमाबन्दी में हिस्सेदारी सही दर्ज नहीं होने के कारण नामान्तरण नहीं खुल सका है। इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 27.03.2018 को सुबह करीब 9 बजे का है कि वादीगण अपने हिस्से की जमीन में ट्यूबवैल करवा रहे थे कि प्रतिवादीगण एकराय होकर खेत पर आये और कहने लगे कि खेत आज भी हमारे नाम हैं। इन्हें तुम काफी समय से काश्त कर रहे हो। अब तुमने हमें रजि0 करवाते समय पैसा दिया था उसे वापिस लो और कब्जा छोडो अब जमीनों की कीमतें बढ़ गयी है इस पर वादीगण द्वारा यह कहने पर कि भाईयों हमने उस समय जमीन की कीमत के आधार पर पैसा दिया है सेटिलमेन्ट द्वारा जमीन की जमाबन्दी सही नहीं बनाने की बजह से हमारे नाम खातेदारी नहीं हुई है। इसमें हमारा दोष नहीं है। इस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि या तो तुम जमीन से कब्जा हटा लो नही तो इसे ऐसे लोगों को देंगे जो तुम्हें डण्डे के बल पर कब्जा कर ले लेंगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया मगर अजखुद मानने को तैयार नहीं है। वादीगण द्वारा तहसीलदार हिण्डौन से विवाद निस्तारण व वारिसान के नाम खातेदारी करने की प्रार्थना पत्र पर उन्होंने सक्षम न्यायालय में दावा दायर कर खातेदारी करवाने की सलाह दी है इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 27.03.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त आराजीयात में मजाहमत मदाखलत करने पर बमुमाक ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन इस अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आश्य की घोषणा फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 स्थित ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन का रेवन्यू रिकार्ड सरकारी कर्मचारियों की भूल से सही नहीं होने के कारण वादीगण के हक में

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (कौली)

प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों द्वारा तकमील तस्दीक करवाये गये विक्रय पत्र वर्णित मद नं02 लगायत 9 वादपत्र की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज होने पर वादी खरीदशुदा जमीन की खातेदारी इस प्रकार अपने नाम दर्ज रिकार्ड करवाने के हकदार है। कि वादी सं01 चेताराम बहिस्सा 1/8, वादी सं02 रामप्रसाद बहिस्सा 5/48, वादी सं03 बल्ला बहिस्सा 1/8, वादी सं04 रामबच्चा उर्फ गोपीराम बहिस्सा 1/16 तथा वादी सं05 हरीचरण बहिस्सा 60/78 इस प्रकार वादीगण कुल 138/144 यानि 2.45 है0 रकबा की खातेदारी उपरोक्तानुसार रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज करवाने के हकदार है। तथा शेष जमीन बहिस्सा 1/4 में प्रतिवादी सं0 33 लगायत 37 बहिस्सा 1/24 के खातेदार काश्तकार है अन्य प्रतिवादी सं01 लगायत 32 का नाम जमाबन्दी से हजफ फरमाने के आदेश प्रदान करने तथा समस्त रेवन्यू रिकार्ड व कागजात सरकार में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करवाने का निवेदन किया है। विक्रीत आराजीयात का बैंक रहन बागुजास्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजीयात खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 स्थित ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये हैं।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073-76 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी सं0 2031 से 34 प्रदर्श-2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श - 3, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.06.1989 उनवानी खेमू वगैराह बहक चेताराम प्रदर्श-4, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1989 उनवानी प्रमू बहक चेताराम वगैराह प्रदर्श-5, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.08.1989 उनवानी किशन बहक हरिचरण वगै0 प्रदर्श-6, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1989 उनवानी घीस्या वगै0 बहक रामप्रसाद प्रदर्श-7, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.1989 उनवानी देवीसिंह वगैराह बहक हरीचरण प्रदर्श-8, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1989 उनवानी कन्हैया वगैराह

उपर्युक्त अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

बहक हरीचरण प्रदर्श-9, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.10.1989 उनवानी भरोसी वगैराह बहक रामप्रसाद प्रदर्श-10, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.06.1989 उनवानी थानी वगैराह बहक हरीचरण प्रदर्श-11, असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.03.2017 उनवानी नैवोसिंह वगैराह बहक श्री हरिचरण वगैराह पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी रामबच्चा उर्फ गोपीसहाय पुत्र रतन जाति मीना निवासी खेडीशीश तहसील हिण्डौन के बयान कराये हैं।

वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

नकल जमाबन्दी सं० 2073-76 प्रदर्श-1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है०, 2190 रकबा 2.45 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है० वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन की खातेदारी देवीसिंह कल्लूसिंह कमोदसिंह उर्फ करनसिंह पि० भंवरसिंह हि०1/2 लक्ष्मण थानसिंह हरकेश नटवर पि० दलजीत फूलसिंह पुत्र हरमुख हि०1/2, लक्ष्मण थानसिंह हरकेश नटवर पि० दलजीत, रामसहाय फूलसिंह पि० हरमुख कलुआ पुत्र रामचन्द्र देवीसिंह कल्लू कमोद पि० भंवर हि०1/4, केदारलाल पुत्र बृजी रूमाली पुत्री बृजी, गायत्री बेबा खुशीराम सुशील काना पि० खुशीराम जाति जाट सा०देह, केदारलाल खुशीराम पि० बृजी, प्रभू पुत्र जौहरी विनोद धर्मेन्द्र पि० थानी, प्रेमदेवी बेबा थानी, रामनिरी पुत्री थानी जाति जाट सा०देह खातेदार, बहादुर अनूपसिंह कुंवरसिंह महकसिंह पि० समयसिंह हि०1/4, किशन पुत्र गणेशी हि० 1/8, खुशीराम पुत्र कन्हैया हि०1/16, बृजमोहन पुत्र उम्मेद हि०1/16, घीस्या रेवती पि० नानगा हि० 1/12, भरोसी पुत्र रघुपति रत्तीराम गोविन्दराम पि० रघुपत ना०बा. व बिलायत भरोसी पुत्र रघुपति भाई खुद हिस्सा बराबर हि० 1/24, फतेहसिंह, नेबोसिंह अमरसिंह पि० रामखिलाडी हि०1/16, रामखिलाडी पि० अज्जा हि०1/16 कौम जाट खातेदार, कमोदसिंह उर्फ करणसिंह पि० भंवरसिंह राहिन पी०एन०बी० शाखा हिण्डौन, फत्तेसिंह पुत्र रामखिलाडी का हि० राहिन

उपस्थित अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (कौली)

पी०एन०बी० शाखा हिण्डौन, विनोद कुमार धर्मन्द्र कुमार पि० थानी हि० राहिन  
पी०एन०बी० शाखा हिण्डौन, लक्ष्मण थानसिंह हरकेश नटवर पि० दलजीत  
हि० 01/18 राहिन एस.बी.आई. बैंक हिण्डौन, देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह का हिस्सा  
राहिन बी०ओ०बी० शाखा झारेडा के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श - 3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर  
से दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

साबिक खसरा नं०	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1684/2	2 बीघा	2187	0.09 है०
1684/1	9 बीघा	2190	2.45 है०

नकल जमाबन्दी सं० 2031 से 34 प्रदर्श-2 के अनुसार साबिक  
खसरा नम्बर 1684/1 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन की  
खातेदारी गिर्राज पुत्र गोरे व दलजीत रामसहाय फूलसिंह पि० हरमुख व कलवा  
पुत्र रामचन्द देवीसिंह कल्लू क्मोद पि० भंवर हि० 4 आना, बृजी प्रभू पि० जौहरी  
व थानी बहादुर अनूपसिंह खेमसिंह पि० परभाती हि० 4 आना, किशन पुत्र गणेशी  
हि० 2 आना, कन्हैया बृजमोहन पि० उम्मेद हि० 4 आना, दौजी रामखिलाडी पि०  
अज्जा जाट हि० 2 आना निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.06.1989 उनवानी खेमू वगैराह  
बहक चेताराम प्रदर्श-4 के अनुसार विक्रेता खेमू केदार खुशीराम पि० बृजी जाति  
जाट निवासी ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन के द्वारा विवादित आराजी खसरा  
नम्बर 2187 रकबा 0.09 है०, 2190 रकबा 2.45 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.  
54 है० वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/12  
भाग की भूमि का क्रेता चेताराम पुत्र रतन जाति मीना निवासी खेडीशीश तहसील  
हिण्डौन के हक में बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेता को  
मौके पर संभलाना अंकित किया है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1989 उनवानी प्रभू बहक  
चेताराम वगैराह प्रदर्श-5 के अनुसार विक्रेता प्रभू पुत्र जौहरी जाति जाट निवासी  
बरगमा तहसील हिण्डौन विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1684/1 रकबा

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (कौली)

9 बीघा वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 भाग की भूमि का क्रेता चेताराम पुत्र रतन, हरीचरण पुत्र कारे जाति मीना निवासी खेडीशीश तहसील हिण्डौन के हक में बहिस्सा बराबर बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेतागण को मौके पर संभलाना अंकित किया है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.08.1989 उनवानी किशन बहक हरिचरण वगै० प्रदर्श-6 के अनुसार विक्रेता किशन पुत्र गणेशी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1684 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 भाग की भूमि को क्रेतागण हरीचरण पुत्र काडेराम, रामबच्चा पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश तहसील हिण्डौन के हक में बहिस्सा बराबर बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेतागण को मौके पर संभलाना अंकित किया है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1989 उनवानी घीस्या वगै० बहक रामप्रसाद प्रदर्श-7 के अनुसार विक्रेता घीस्या रेवती पिसरान नानगा जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1684/1 रकबा 9 बीघा के हाल खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है०, 2190 रकबा 2.45 है० वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/16 भाग की भूमि को क्रेता रामप्रसाद पुत्र रतन जाति मीना निवासी खेडीशीश तहसील हिण्डौन के हक में बहिस्सा बराबर बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेता को मौके पर संभलाना अंकित किया है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.1989 उनवानी देवीसिंह वगैराह बहक हरीचरण प्रदर्श-8 के अनुसार विक्रेता देवीसिंह कल्लूसिंह कमोदसिंह उर्फ करण पिसरान भंवर, दलजीतसिंह फूलसिंह पिसरान हरमुख जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है०, 2190 रकबा 2.45 है० वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग की भूमि को क्रेतागण हरीचरण पुत्र कारे, बल्ला पुत्र रतन जाति मीना निवासी खेडीशीश तहसील हिण्डौन के हक में बहिस्सा

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करोली)

बराबर बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेतागण को मौके पर संभलाना अंकित किया है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1989 उनवानी कन्हैया वगैराह बहक हरीचरण प्रदर्श-9 के अनुसार विक्रेतागण कन्हैया, बृजमोहन पिसरान उम्मेद जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1684/1 रकबा 9 बीघा के हाल खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 भाग की भूमि को क्रेता हरीचरण पुत्र कारे जाति मीना निवासी खेडीशीश तहसील हिण्डौन के हक में बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेता को मौके पर संभलाना अंकित किया है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.10.1989 उनवानी भरोसी वगैराह बहक रामप्रसाद प्रदर्श-10 के अनुसार विक्रेतागण भरोसी पुत्र रघुपत, रत्तीराम गोविन्दराम पिसरान रघुपत जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1684/1 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/24 भाग की भूमि को क्रेता रामप्रसाद पुत्र रतन जाति मीना निवासी खेडीशीश तहसील हिण्डौन के हक में बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेता को मौके पर संभलाना अंकित किया है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.06.1989 उनवानी थानी वगैराह बहक हरीचरण प्रदर्श-11 के अनुसार विक्रेतागण थानी बहादुर अनूपसिंह पिसरान परभाती, कुमारसिंह महकसिंह पिसरान समयसिंह जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1684/1 रकबा 9 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 भाग की भूमि को क्रेता हरीचरण पुत्र कारे जाति मीना निवासी खेडीशीश तहसील हिण्डौन के हक में बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेता को मौके पर संभलाना अंकित किया है।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (कौली)

असल राजस्टड विक्रय पत्र दिनांक 23.03.2017 उनवानी नैवोसिंह वगैराह बहक श्री हरिचरण वगैराह के अनुसार विक्रेतागण नैवोसिंह, अमरसिंह पिसरान रामखिलाडी, ओमवती पुत्री रामखिलाडी, कलावती पत्नि स्व० रामखिलाडी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन ने आराजी खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है०, 2190 रकबा 2.54 है० वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में जमाबन्दी सं० 2073-76 के अनुसार निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 भाग की भूमि को क्रेतागण हरिचरण पुत्र काडेराम, गोपीसहाय पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश के हक में विक्रय कर दिया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेतागण को मौके पर संभलाना अंकित किया है।

फोटो प्रति नकल खतौनी बन्दोवस्त सम्बत् 2046 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है०, 2190 रकबा 2.45 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है० वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन की खातेदारी देवीसिंह कल्लूसिंह कमोदसिंह उर्फ करनसिंह पि० भंवर हि०1/2 दलजीत फूलसिंह पि० हरमुख हि०1/2 दलजीत रामसहाय फुलसिंह पि० हरमुख कलुवा पुत्र रामचन्द देवीसिंह कल्लू कमोद पि० भंवर हि०1/4, खेमसिंह केदारलाल खुशीराम पुत्र बृजी प्रभू पुत्र जौहरी थानी बहादुर अनूपसिंह कुंवरसिंह महकसिंह पि० समयसिंह हि०1/4 किशन पुत्र गणेशी हि० 1/8 कन्हैया बृजमोहन पि० उम्मेद हि०1/8 घीस्या रघुपति रेवती पिसरान नानगा हि०1/8 दौजी रामखिलाडी पि० अज्जा हि० 1/8 कौम जाट खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि फोटो प्रति नकल खतौनी बन्दोवस्त सम्बत् 2046 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है०, 2190 रकबा 2.45 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है० वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन के खातेदार देवीसिंह कल्लूसिंह कमोदसिंह उर्फ करनसिंह पि० भंवर हि०1/2 दलजीत फूलसिंह पि० हरमुख हि०1/2 दलजीत रामसहाय फुलसिंह पि० हरमुख कलुवा पुत्र रामचन्द देवीसिंह कल्लू कमोद पि० भंवर हि०1/4, खेमसिंह केदारलाल खुशीराम पुत्र बृजी प्रभू पुत्र जौहरी थानी बहादुर अनूपसिंह कुंवरसिंह महकसिंह पि० समयसिंह हि०1/4 किशन पुत्र गणेशी हि० 1/8 कन्हैया बृजमोहन पि० उम्मेद हि०1/8 घीस्या रघुपति रेवती पिसरान

उपरोक्त अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (कौली)

नानगा हि01/8, नैवोसिंह, अमरसिंह पिसरान रामखिलाडी, ओमवती पुत्री रामखिलाडी, कलावती पत्नि स्व0 रामखिलाडी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन में अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 भाग की भूमि का बेचान उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर वादीगण चेताराम पुत्र रतन को हिस्सा 1/8, हरिचरण पुत्र कारे को हिस्सा 23/48 भाग, रामबच्चा पुत्र रतन को हि0 1/16 भाग, रामप्रसाद पुत्र रतन को हि0 1/8 भाग, बल्ला पुत्र रतन को हिस्सा 1/8 भाग, गोपीसहाय पुत्र रतन को हि0 1/24 कुल हिस्सा 23/24 भाग की भूमि का बेचान किया जा चुका है तथा दौजी रामखिलाडी पि0 अज्जा के वारिसान नैवोसिंह, अमरसिंह पिसरान रामखिलाडी, ओमवती पुत्री रामखिलाडी, कलावती पत्नि स्व0 रामखिलाडी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन का 1/24 हिस्सा बेचान से शेष रहा है। इस प्रकार वादीगण मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.54 है0 वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में चेताराम पुत्र रतन जाति मीना निवासी खेडीशीश को हिस्सा 1/8, हरिचरण पुत्र कारे जाति मीना निवासी खेडीशीश को हिस्सा 23/48 भाग, रामबच्चा पुत्र रतन जाति मीना निवासी खेडीशीश को हि0 1/16 भाग, रामप्रसाद पुत्र रतन जाति मीना निवासी खेडीशीश को हि0 1/8 भाग, बल्ला पुत्र रतन जाति मीना निवासी खेडीशीश को हिस्सा 1/8 भाग, गोपीसहाय पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश को हिस्सा 1/24 भाग का तथा नैवोसिंह, अमरसिंह पिसरान रामखिलाडी, ओमवती पुत्री रामखिलाडी, कलावती पत्नि स्व0 रामखिलाडी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन को हिस्सा 1/24 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ कराने के वादीगण अधिकारी साबित है। तथा अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के वादीगण अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिकी योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2187

उपरोक्त अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (कगली)

लेक्ट

ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में वादी चेताराम पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश को हिस्सा 1/8 भाग, हरिचरण पुत्र कारे जाति मीना निवासी खेडीशीश को हिस्सा 23/48 भाग, रामबच्चा उर्फ गोपीसहाय पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश को हि0 5/48 भाग, रामप्रसाद पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश को हि0 1/8 भाग, बल्ला पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश को हिस्सा 1/8 भाग का तथा नैवोसिंह, अमरसिंह पिसरान रामखिलाडी, ओमवती पुत्री रामखिलाडी, कलावती पत्नि स्व0 रामखिलाडी जाति जाट निवासी बरगमा तहसील हिण्डौन को हिस्सा 1/24 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.09 है0, 2190 रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है0 वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन में वादीगण के कुल हिस्सा 23/24 भाग में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। वादीगण को उक्त भूमि को शान्ति पूर्वक काश्त करने दें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादीगण के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अनूपसिंह )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिलाधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )